दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 02 मार्च 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 155

महत्वपूर्ण एवं खास

नाइजीरिया में सड़क दुर्घटना में 5 की मौत

अबुजा। नाइजीरिया के दक्षिण-पश्चिमी राज्य ओगुन में एक बस और कार की टक्कर में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यातायात पुलिस ने यह जानकारी दी। ओगुन में संघीय सडक़ सुरक्षा कोर के प्रवक्ता फ्लोरेंस ओकेपे ने राज्य की राजधानी अबेओकुटा में संवाददाताओं को बताया कि यह टक्कर लागोस-इबादान एक्सप्रेसवे के साथ फिदिवो पुल पर हुई। ट्रैफिक पुलिस की जांच का हवाला देते हुए ओकेपे ने कहा, 'अत्यधिक तेज गति और गलत तरीके से ओवरटेक करने और वाहन पर नियंत्रण खो देने के कारण यह हादसा हुआ। नाइजीरिया में घातक सडक़ दुर्घटनाएँ अक्सर रिपोर्ट की जाती हैं, जो अक्सर ओवरलोडिंग, खराब सडक़ की स्थिति और लापरवाह ड्राइविंग के कारण होती हैं।

बेंगलुरू के मशहूर कैफे में विस्फोट

बेंगलुरु (आरएनएस)। बेंगलुरु से बड़ी खबर सामने आ रही है। शुक्रवार को यहां प्रसिद्ध रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हो गया। इस धमाके में 4 लोग घायल हो गए। विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैफे की रसोई में यह विस्फोट हुआ है, जिससे प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि, विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है।

जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने चार मार्च तक केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.5, गुलमर्ग में माइनस 3.2 और पहलगाम में 1.3 डिग्री रहा। लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.1, कारगिल में माइनस 9.4 और द्रास में माइनस 8.5 डिग्री रहा। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 14.3, कटरा में 11.2, बटोटे में 8.4, भद्रवाह में 6.8 और बनिहाल में 6.6 डिग्री रहा।

मदद की आस में एकत्र हुए फिलस्तीनियों पर इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक, 104 लोगों की मौत- 280 से अधिक घायल

काहिरा। गाजा में युद्धविराम की कोशिशों के बीच इजरायल के हमले जारी हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आरोप लगाया कि गाजा शहर में मदद की आस में एकत्रित हुए फिलस्तीनियों पर इजरायली ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। इस हवाई हमले में 104 लोग मारे गए हैं और 280 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा, इजरायल-हमास जंग शुरू होने के बाद से अब तक 30,035 फिलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 70,457 लोग घायल हुए हैं। इजरायल के प्रवक्ता ने गाजा के अधिकारियों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जिस स्थान पर घटना की बात कही जा रही है वहां किसी तरह की गोलाबारी नहीं हुई है।

दर्दनाक हादसे में सगे भाइयों की मौत, मचा कोहराम, गांव में पसरा मातम

मेरठ (आरएनएस)। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में बृहस्पतिवार की रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि बृहस्पतिवार रात में मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर धीरखेड़ा के पास किसी अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार दो सगे भाइयों कृष्ण व अशोक पुत्र सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा कन्हैया नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि पांची निवासी कृष्ण कुमार पुत्र सुनील अपने भाई अशोक कुमार व कन्हैया के साथ बाइक पर सवार होकर बीमार मां को अस्पताल में देखने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं, एक साथ दो सगे भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

डीआरडीओ ने किया घातक महाहथियार वीएसएचओआरएडीएस मिसाइल का सफल परीक्षण

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत ने बुधवार और गुरुवार को अपनी स्वदेशी मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के दो सफल परीक्षण किए. इन मिसाइल्स को खासतौर पर शत्रु विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को बहुत कम दूरी पर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों का उड़ान परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 6 किमी तक है. बता दें कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से मिसाइलों का उड़ान परीक्षण किया. डीआरडीओ के एक अधिकारी ने इस बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है...

अधिकारी ने बताया कि, ये परीक्षण विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानवरहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किए गए थे. सभी परीक्षण उड़ानों के दौरान, मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए, लक्ष्यों को मिसाइलों द्वारा रोका और नष्ट कर दिया गया. वीएसएचओआरएडीएस को अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) द्वारा डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से तैयार किया गया है.

इसपर ज्यादा जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि, वीएसएचओआरएडीएस मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स समेत कई नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें परीक्षणों के दौरान सफलतापूर्वक साबित कर दिया गया है.

इसकी खासियत बताते हुए अधिकारी ने बताया कि, डुअल-थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित मिसाइल, कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए है. आसान पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्चर सहित मिसाइल के डिजाइन को अत्यधिक अनुकूलित किया गया है

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग को सफल विकास परीक्षणों के लिए बधाई देते हुए कहा कि, आधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस यह नई मिसाइल सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी बढ़ावा देगी. बता दें कि, पिछले साल जनवरी में राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1,920 करोड़ रुपये की लागत से डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकास के तहत इन्फ्रारेड होमिंग वीएसएचओआरएडीएस मिसाइलों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी थी.

देश का डिफेंस सेक्टर होगा और ताकतवर, 39125 करोड़ रूपए के पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक-इन-इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को 39125 करोड़ रुपये के पांच पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये। पांच अनुबंधों में मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिग-29 विमान के एयरो-इंजन के लिए एक अनुबंध, क्लोज-इन वेपन सिस्टम के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ दो अनुबंध और ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए तथा भारतीय रक्षा बलों के लिए पोत पर तैनात की जाने वाली ब्रह्मोस प्रणाली के लिए मैसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ दो अनुबंध शामिल हैं। ये समझौते भविष्य में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करेंगे, विदेशी मुद्रा बचाएंगे और विदेशी उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता को कम करेंगे। मिग-29 विमानों के आरडी-33 एयरो इंजन के लिए मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 5249 करोड रुपये की लागत का अनुबंध किया गया। क्लोज-इन वेपन सिस्टम की खरीद के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ 7,668.82 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। सीआईडब्ल्यूएस देश के चुनिंदा स्थानों पर टर्मिनल एयर डिफेंस प्रदान करेगा। यह परियोजना भारतीय एयरोस्पेस, रक्षा और एमएसएमई सहित संबंधित उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देगी। राडार की खरीद के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ 5,700.13 करोड़ रुपये की लागत से अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह छोटे रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम परिष्कृत सेंसर के एकीकरण के साथ वायुसेना की क्षमताओं में काफी वृद्धि करेगा। यह स्वदेशी रडार निर्माण तकनीक को बढ़ावा देगा क्योंकि यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित अपनी तरह का पहला रडार होगा। ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए मैसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 19,518.65 करोड़ रुपये की लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

रेप मामले में दोषी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, मांगी थी जमानत

नईदिल्ली (आरएनएस)। रेप के मामले में सजा काट रहे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी।सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ठुकराते हुए उन्हें जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से मामले मे जल्द सुनवाई को कहा।आसाराम ने चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।

आसाराम के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि उनके मुवक्किल को महाराष्ट्र में हिरासत के दौरान आयुर्वेदिक उपचार देने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने यह मांग भी राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष दायर करने को कहा है।बता दें, आसाराम बापू ने इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।।राजस्थान हाई कोर्ट भी 2022 में जमानत देने से इंकार कर चुका है।

आसाराम बापू को 2013 में जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लडक़ी से रेप करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सूरत में 2 बहनों ने भी उन पर और उनके बेटे नारायण साईं पर रेप का मामला दर्ज कराया था।जोधपुर मामले में सुनवाई 4 साल तक चली और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2018 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।आसाराम बापू लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।

महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 580 करोड़ रुपए किए फ्रीज

रायपुर (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने छापेमारी के बाद दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर की 580 करोड़ से अधिक रुपए फ्रीज किए हैं। इसके अलावा 3.64 करोड़ की नकदी और कीमती सामान भी जब्त कर लिया है। यह छापे 28 फरवरी को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर के कई ठिकानों पर मारे गए थे। इस मामले में अब तक 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

ईडी की इस पूरी कार्यवाही और लगातार जांच में यह पता चला है कि कथित 6000 करोड़ रुपए के महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन दुबई से किया जा रहा है। यह खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। दुबई से चलने का मुख्य उद्देश्य जांच एजेंसियों की रडार से बचना है। इस ऑनलाइन सट्टे को अलग-अलग फ्रेंचाइजी के माध्यम से देश भर में चलाया जा रहा है। ईडी की जांच में पता चला है कि छोटी-छोटी वेबसाइट को फ्रेंचाइजी देकर महादेव सट्टा का अवैध कारोबार चल रहा है। जिसमें रेड्डीअन्ना, फेयरप्ले जैसी साइट की जानकारी इस रेड से बाहर निकल कर आई है।

ईडी की जांच में महादेव ऑनलाइन बुक के अन्य प्रमोटर के नाम का भी खुलासा किया गया है। जांच में पाया गया है कि हरिशंकर टिंबरेवाल जो की कोलकाता का रहने वाला है। यह वर्तमान में दुबई में रहते हुए ऑनलाइन सट्टा के प्रमोटरों के साथ मिलकर पैसे को हवाला करने का काम करता था। महादेव सट्टा के कई प्रमोटरों के साथ इसकी बड़ी साझेदारी थी। इस रेड में उसके कई सहयोगियों के घरों में भी रेड करने के बाद कई अहम दस्तावेज की बरामद हुए हैं। जिसमें पता चला है कि हरिशंकर टिंबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट का भी मालिक था। सट्टे के पैसे की अवैध कमाई को वह भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। इसके अलावा इस कमाई के पैसे को हवाला के माध्यम से इधर से उधर करने का काम करता था।

प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक इस प्रकरण में दो चीर्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ है। दोनों ऐप के प्रमोटर हैं। एजेंसी ने पहले भी मामले में कई छापे मारे थे। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ है।

केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दी मंजूरी, फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली

नई दिल्ली (आरएनएस)। करोड़ों परिवारों को मुक्त बिजली योजना देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाते हुए 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को हरी झंडी दिखा दी है। बीते 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। योजना को धरातल पर लागू किए जाने से करोड़ों लोगों को मुफ्त बिजली मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जिससे वो अपने 15 हजार रुपए बचा सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत जो लोग अपने घरों पर सौर बिजली इकाई स्थापित करेंगे, उससे उन्हें दो फायदे होंगे। पहला तो उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा वो अपने 15 हजार रुपए भी बचा सकेंगे। इस योजना को 70,021 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये होगी।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक को राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन करते समय आवेदक को राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को भरना होगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का चयन कर सकते हैं जिसे वे अपनी छत पर लगाना चाहते हैं।

आवेदक के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका अनुपालन करने पर ही आप आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदनकर्ता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। गैर-भारतीय इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत होना चाहिए।

इसके अलावा अगर सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद राज्य और बिजली कंपनी का चयन करना होगा। आवेदक को इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद अपना उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद जब आपका आवदेन मंजूर कर लिया जाएगा, तब आप किसी भी पंजीकृत विक्रेता से अपने छत पर संयंत्र लगाने के लिए पात्र हो जाएंगे। वहीं, जब संयंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तब आपको संयंत्र का विवरण जमा कराना होगा और इसके बाद आपको नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। नेट मीटर की स्थापना और वितरण कंपनी (या डिस्कॉम) द्वारा निरीक्षण हो जाने के बाद पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र जेनरेट किया जाएगा। कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण और एक कैंसिल चेक जमा कराएं। आपको 30 दिन के भीतर अपने बैंक खाते में अपनी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग

जयपुर (आरएनएस)। भारतीय सेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को राजस्थान के डीडवाना गांव के पास एक खेत में लैंडिंग की। इसके बाद एक और चेतक हेलीकॉप्टर आया जो लैंड कराए गए हेलीकॉप्टर की मदद के लिए वहां उतरा। सूत्रों के मुताबिक 10 मिनट बाद दोनों हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी।

जयपुर के पीआरओ (रक्षा) कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा कि दोनों हेलिकॉप्टर अब अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, यह एहतियाती लैंडिंग थी। अधिकारियों ने बताया कि सेना के पायलटों और सैनिकों ने तकनीकी खामी का पता लगाया जिसे 10 मिनट के भीतर ठीक कर लिया गया, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टरों ने फिर से उड़ान भरी। किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में मामूली तकनीकी खराबी का अंदेशा होता है तो उसके वार्निंग सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं। पायलट के लिए यह निर्देश होता है कि इस प्रकार का सिग्नल होने पर तुरंत उसको लैंडिंग करनी होगी। लैंडिंग करने के बाद तकनीकी खामियों को चेक कर दूर किया जाता है। सब ठीक होने पर वह दोबारा फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है।

अब कंकरखेड़ा में आया तेंदुआ, मचा हड़कंप, दहशत से घरों में दुबके लोग, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद

मेरठ (आरएनएस)। मेरठ में कंकरखेड़ा के आर्य नगर में शुक्रवार सुबह एक तेंदुआ मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले की जानकारी होने के बाद क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। इस दौरान लोग घरों के अंदर दुबककर बैठ गए। वहीं, तेंदुए की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौक पर पहुंची और एंदुए की तलाश में जुट गई है।

कंकरखेड़ा के सरधना रोड स्थित आर्य नगर निवासी अभय के मकान पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। अभय ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग पौने छह बजे एक तेंदुआ दिखाई दिया। इसी बीच एक बाइक सवार युवक सुबह के समय किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान युवक का तेंदुए से आमना-सामना हो गया। तेंदुए को देखकर युवक ने बाइक रोक ली। युवक का कहना है कि बाइक की तेज लाइट को देखकर तेंदुआ दूसरी तरफ भाग गया। इस दौरान युवक ने घबराकर शोर मचा दिया। युवक का शोर सुनकर आसपास के लोग उसकी ओर दौड़ पड़े।

वहीं, क्षेत्र में तेंदुआ मिलने की सूचना पर कॉलोनी में हडक़ंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम को मौके से तेंदुए के पैरों के निशान मिले। वन विभाग की टीम ने आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की तलाश की। लेकिन तेंदुए का सुराग नहीं लग सका। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकडऩे के लिए जाल बिछाने की तैयारी कर रही है।

उधर, थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी। थाना प्रभारी विष्णु कौशिक का कहना है कि एहतियात के तौर पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। साथ ही लोगों को जरूरी काम पर घर से बाहर निकालने की सलाह दी गई है।

सुको ने की सांसदों, विधायकों की डिजिटल निगरानी की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी निर्वाचित सांसदों और विधायकों की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, देश के सभी सांसदों और विधायकों की हम निगरानी नहीं कर सकते। निजता का अधिकार नाम की भी कोई चीज़ है। वे जो करते हैं उसकी निगरानी के लिए हम उनके पैरों या हाथों पर कुछ (इलेक्ट्रॉनिक) चिप्स नहीं लगा सकते।

सभी विधायकों की चौबीस घंटे सीसीटीवी निगरानी के लिए दायर की गई याचिका पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी अपना निजी जीवन है।

जब याचिकाकर्ता ने मामला प्रस्तुत करने के लिए 15 मिनट का समय मांगा तो शीर्ष अदालत ने उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।

कोर्ट ने कहा, 5 लाख रुपए लगेंगे और अगर हम याचिका खारिज करते हैं तो इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में दिया जाएगा। यह समय की बर्बादी है।

याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलील दी कि सांसद और विधायक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वेतनभोगी प्रतिनिधि हैं जो कानून, योजना और नीतियां बनाने में लोगों की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुनाव के बाद शासक के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देते हैं।

जनहित याचिका में मांगी गई राहत से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।